तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/73/2001/जयपुर** **सरकार बनाम रघुवीर प्रसाद शर्मा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः-** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। श्री उमेश कुमार अभिभाषक अप्रार्थीगण के। -- **आदेश** यह रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 24-04-2000 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जमवारामगढ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 ग्राम पचार तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 735 ता 739, 1419 व 1420 भूमि माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके देह हाजा व एहतमाम पुजारी रामसहाय चेला प्रतापदास स्वामी सा0 देह दर्ज थी। दौराने एकीकरण जमाबंदी संवत 2047-50 में माफी मंदिर का नाम बिना किसी आदेश विलोपित कर दिया गया और कृषक के कॉलम में अप्रार्थीगण का नाम अंकित कर दिया गया। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके देह के नाम अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए उभयपक्षों की सुनवाई की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-04-2000 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया।	

	हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की थी, जिसे दौराने एकीकरण माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया तथा रेफरेन्स में अंकित आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह बिना किसी आधार व आदेश के किया गया है। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अतः विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी का माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी से कोई संबंध नहीं है। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता श्री वत्सराज की कब्जाकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जो कि नकल जमाबंदी संवत 2015 से स्पष्ट है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आरजी अप्रार्थीगण के पिता वत्सराज की खातेदारी में थी, खातेदारी भूमि होने के कारण ही अप्रार्थी संख्या 4 ता 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इसका बेचान किया गया था। विक्रय के कारण ही अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जो कि क्रेतागण है के नाम खातेदारी दर्ज हुई। क्रेतागण को 5/6 हिस्सा की पास बुक मिल गई इस पासबुक में माफी मंदिर का इन्द्राज नही है। विवादित आराजी में दो कुएँ व बिजली लगवाई गई व अप्रार्थीगण ने रूपया पैसा लगाकर उसको समतल कराई है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार को प्रतिफल राशि का भुगतान कर आराजी सद्भावी क्रय किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रस्तुत	

	रेफरेन्स केवल मात्र द्वेषता के कारण प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। मैने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2034 ग्राम पचार तहसील जयपुर के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 735 ता 739, 1419 व 1420 भूमि माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके देह हाजा व एहतमाम पुजारी रामसहाय चेला प्रतापदास स्वामी सा0 देह दर्ज थी। दौराने एकीकरण जमाबंदी संवत 2047-50 में माफी मंदिर का नाम बिना किसी आदेश विलोपित कर दिया गया और कृषक के कॉलम में अप्रार्थीगण का नाम अंकित कर दिया गया। इस प्रकार भूमि का जो हस्तातंरण हुआ है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस	

पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें, इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा रेफरेन्स में अंकित आराजी को पुनः 'माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी' के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। आदेश की सूचना अधिवक्तागण को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य